न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 07 / 2024(जी.सी.एम.एस.2024 / 82)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हर्षवर्धन सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 वीं ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेआम खास भैरू सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2. मान सिंह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत निवासी चक 3 वीं ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेआम खास भैरू सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर।		1. गुरनाम सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2. अंग्रेज सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरप्रीत कौर पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरविन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 5. निशान सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 6. बलविन्द्र सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 7. मनप्रीत कौर पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 8. सुखवन्त सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 9. सतनाम सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 10. सुमनप्रीत कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–04.04.2024

उपस्थित:1.श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय–– **दिनांक : 11.09.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 53/53 के मुरब्बा नम्बर 55 की 6.197 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 78/78 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7/7 के मुरब्बा नम्बर 53 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी मेढ के साथ-साथ करीबन 40-50 वर्षो से चल रहे रास्ता से चलकर अपने मुरब्बा नम्बर 55, 56 को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से मांग की है। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7/7 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी वट के साथ-साथ 10-10 फीट भूमि व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 में 5 फीट भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। रास्ता की भूमि के बदले मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 5 का आधा भाग अप्रार्थी संख्या 1 गुरनाम सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावे।

3. उक्त के संवध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/548 दिनांक 28.06.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक खरलां मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर व पटवारी हलका 8 वीं द्वारा चक 3 वीं के मुरब्बा नम्बर 53, 55, 56 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी वट के साथ-साथ 1-1/2 -1-1/2 बिस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 53/53 के मुरब्बा नम्बर 55 की 6.197 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 78/78 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से रास्ता व्यावहारिक व सबसे सुलभ एंव छोटा एंव पत्थर लाईन पर मौजूद है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त रास्ता के स्वीकृत किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7/7 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 0.018975 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 की पश्चिमी बट के साथ 0.0091 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 5 की पूर्वी बट के साथ 0.0091 हैक्टेयर, कुल 0.037175 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार रेखांकित रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 5 की पूर्वी दिशा में 0.126 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बावत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

([illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

([illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुराना श्रीकरणपुर
ईमेल sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in
दूरभाष नं0:– 01501226005

क्रमांक :- रीडर/2024/519 दिनांक :- 11.09.2024

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 07/2024 अनवान हर्षवर्धन सिंह आदि बनाम गुरनाम सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 11.09.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7/7 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 0.018975 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 की पश्चिमी बट के साथ 0.0091 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 5 की पूर्वी बट के साथ 0.0091 हैक्टेयर, कुल 0.037175 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 5 की पूर्वी दिशा में 0.126 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर